

अत्यावश्यक
पंचायत उप-निर्वाचन, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-24/2023 - 1781

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 19.05.2023

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : अभ्यर्थिता वापसी उपरान्त मतदान हेतु ई.वी.एम.कमिश्नींग कराने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 1514 दिनांक 10.05.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि अभ्यर्थिता वापसी उपरान्त मतदान की तैयारी हेतु ई.वी.एम. कमिश्नींग का कार्य किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग का निदेश दिया गया है कि -

(क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने देख-रेख में प्रखंड स्तर पर ई.वी.एम. कमिश्नींग का कार्य करायेंगे।

(ख) जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, वे भी अपनी देख-रेख में संबंधित प्रखंड में ही ई.वी.एम. का कमिश्नींग का कार्य सम्पन्न करायेंगे।

(ग) कमिश्नींग करने तथा तकनीकी सहयोग हेतु BEL के अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति आदि के संबंध में अलग से निदेश दिये जा रहे हैं।

(घ) उक्त कार्य का समन्वय जिला स्तर पर ई.वी.एम. कोषांग के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-24/2023 - 1781

पटना, दिनांक - 19.05.2023

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-24/2023 - 1781

पटना, दिनांक - 19.05.2023

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।


19.05.23